भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3264

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर

†3264. श्री आदित्य यादवः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि देश में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) के शुभारंभ के आठ महीने बाद 1 मई, 2025 तक एक प्रतिशत से भी कम चिकित्सकों ने इसमें पंजीकरण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनएमआर द्वारा देश के सभी एलोपैथिक चिकित्सकों की एक व्यापक रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) पहचान पत्र (आईडी) जारी करने के लिए आवेदन स्वैच्छिक प्रक्रिया है। स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, आवेदक एनएमआर पोर्टल के माध्यम से आवेदन करता है। आवेदन सबसे पहले संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) को जाता है जहाँ उसका प्रारंभिक पंजीकरण हुआ था और उसके प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बाद, एसएमसी द्वारा उसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन को एनएमसी को अग्रेषित किया जाता है। प्राप्त आवेदन की जाँच की जाती है और सत्यापन के बाद, उसे स्वीकृत किया जाता है तथा एनएमआर आईडी जेनरेट की जाती है। इसके अलावा, एनएमसी ने सभी एसएमसीएस को एनएमआर पंजीकरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए लिखा है।

******